

बिहार सरकार
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम

श्रम संसाधन विभाग की सेवाएँ

क्र.स.	सेवा	आवेदन फॉर्म	अनुलग्नक	निर्दिष्ट लोकसेवक (कार्यदिवस)	अपीलीय प्राधिकार (कार्यदिवस)	पुनर्विलोकन प्राधिकार (कार्यदिवस)
1.	बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में अनुदान)	प्रपत्र-1	1. मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, निवास प्रमाण पत्र (इनमें से कोई एक 2. पुलिस स्टेशन को दुर्घटना के बारे में दी गई सूचना / प्राथमिकी या दुर्घटना के सम्बन्ध में मुखिया / वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र 3. मृत्यु प्रमाण पत्र 4. पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट 5. आश्रित प्रमाण पत्र	प्रखंड विकास पदाधिकारी (14)	जिला पदाधिकारी (15)	श्रमायुक्त, बिहार (15)
2.	बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (पूर्ण स्थायी अपंगता एवं स्थायी अंशिक अपंगता की स्थिति में अनुदान)	प्रपत्र-1		प्रखंड विकास पदाधिकारी (14)	जिला पदाधिकारी (15)	श्रमायुक्त बिहार (15)

Govt. of Bihar
Right to Public Service (RTPS) Act

Services of Labour Resource Department (RLD)

S.N.	Name of Service	Application Form	Attachment	Designated Public Servant (Working Days)	Appellate Authority (Working Days)	Reviewing Authority (Working Days)
1.	Bihar State Non-resident Labour Accident Compensation Scheme (Compensation regarding accidental death)	Form-1	1. Voter ID Card, Aadhar Card, Bank Passbook, Ration Card, MNREGA Job Card, Residence Certificate (any one of these) 2. Information about accident given to Police Station / FIR or Certificate issued by Mukhia / Ward Councilor 3. Death Certificate 4. Post-mortem Report 5. Dependent Certificate	Block Development Officer (14)	District Magistrate (15)	Labour Commissioner, Bihar (15)
2.	Bihar State Non-resident Labour Accident Compensation Scheme (Compensation in case of complete disability and permanent partial disability)	Form-1		Block Development Officer (14)	District Magistrate (15)	Labour Commissioner, Bihar (15)